राजस्व प्रार्थना पत्र 98 / 2020
जीसीएमएसम नंबर 2020 / 00282
मनोज कुमार बनाम् सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी–रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र–98 / 2020

प्रार्थी–

1. मनोज कुमार पुत्र धन्ना पुरी जाति गोसाई , निवासी– कठौती तहसील–जायल , जिला–नागौर ,हाल निवासी– बनाड़ जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री गोविन्दराम ढाका
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक :– 16/5/2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम मनोज कुमार पुत्र धन्ना पुरी ही है। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा कठौती तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 1258 के खसरा नम्बर 1085, 1253, 1727, 1728 सहखातेदार दर्ज है, जबकि प्रार्थी के राशन कार्ड संख्या 1673 दिनांक 04.01.2004, पेन कार्ड संख्या ऐक्यूजेपीसे7658एफ, आधार कार्ड संख्या 6536 4512 5982 मे प्रार्थी का सही नाम मनोज कुमार पुत्र धन्ना पुरी दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक दिनांक 26.04.2022 को मय हल्का पटवारी कठौती की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी का नाम ऑनलाईन जमांबदी संम्वत 2073–2076 स्थायी में मनोज पुरी पुत्र धन्ना पुरी सहखातेदार दर्ज है। जबकि प्रार्थी के ग्राम कठौती के खाता संख्या 1258 खसरा नंबर 1085, 1253, 1727, 1728 में सहखातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी को गांव में वर्तमान में भी मनोज पुरी के नाम से जाना व पुकारा जाता है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज राशन कार्ड संख्या 1673 दिनांक 04.01.2004, पेन कार्ड संख्या ऐक्यूजेपीसे7658एफ, आधार कार्ड संख्या 6536 4512 5982 में नाम मनोज कुमार पुत्र धन्ना पुरी दर्ज है।

16/05/2022

प्रार्थी को गांव में बोलचाल में मनोज पुरी नाम से पुकारने के कारण विरासत के नामान्तकरण को दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम मनोज पुरी दर्ज किया गया था। उपस्थित मौतबिरानों ने मनोज पुरी तथा मनोज कुमार दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी कठौती तहसील जायल की रिपोर्ट, राशन कार्ड संख्या 1673 दिनांक 04.01.2004, पेन कार्ड संख्या ऐक्यूजेपीसे7658एफ, आधार कार्ड संख्या 6536 4512 5982 तथा ग्राम कठौती नकल खतौनी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 1258 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में कठौती के खतौनी सं. 1258 में अंकित खसरान् में प्रार्थी का नाम मनोज पुरी पुत्र धन्ना पुरी के स्थान पर मनोज कुमार पुत्र धन्ना पुरी शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज कठौती तहसील के खतौनी सं. 1258 में वर्णित खसरान की भूमि जो कि प्रार्थी को पुश्तैनी बडेर की भूमि जो कि विरासत नामान्तकरण से प्राप्त हुई है तथा सहखातेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार राशन कार्ड संख्या 1673 दिनांक 04.01. 2004, पेन कार्ड संख्या ऐक्यूजेपीसे7658एफ, आधार कार्ड संख्या 6536 4512 5982 की फोटो प्रति में प्रार्थी मनोज पुरी एवं मनोज कुमार एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी का सही नाम जो कि नामान्तकरण के समय मनोज कुमार के स्थान पर मनोज पुरी दर्ज हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि मनोज कुमार एवं मनोज पुरी दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम कठौती के खाता संख्या 1258 में दर्ज सहखातेदार नाम मनाज पुरी पुत्र धन्ना पुरी के स्थान पर वास्तविक नाम मनोज कुमार पुत्र धन्नाराम दुरुस्त / दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : **आदेश** : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम कठौती तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 1258 दर्ज नाम मनाज पुरी पुत्र धन्ना पुरी के स्थान पर मनोज कुमार पुत्र धन्ना पुरी दुरुस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 16/05/2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

Sd/- 16/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल